



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072026-274741
CG-DL-E-23072026-274741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3878]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948

No. 3878]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026/SHRAVAN 1, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

का.आ. 4048(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] (एतश्मिन पश्चात् उक्त अधिनियम से संदर्भित), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “केरल हेडलोड वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, कोच्चि” (पैन AAAJK1176F), जो कि केरल राज्य सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उक्त बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-

- (क) सरकार से सहायता अनुदान और ऋण के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) केरल हेडलोड वर्कर्स एक्ट, 1978 (1980 का 20), केरल हेडलोड वर्कर्स नियम 1981 और इनके अंतर्गत चल रही योजनाओं के तहत वसूल की गई लेवी;
- (ग) लाभार्थियों के रूप में बोर्ड में पंजीकृत सदस्यों से एकत्र की किया गया पंजीकरण शुल्क;

- (घ) केरल हेडलोड वर्कर्स एक्ट, 1978 (1980 का 20) की धारा 13 के तहत तैयार की गई केरल हेडलोड वर्कर्स (रोजगार और कल्याण का विनियमन) योजना 1983 के पैरा 27 के अनुसार नियोक्ताओं से जमा के रूप में प्राप्त राशि;
- (ङ) केरल हेडलोड वर्कर्स अधिनियम, 1978 (1980 का 20), केरल हेडलोड वर्कर्स नियम 1981 और उसके तहत चलने वाली योजना में यथा परिभाषित सदस्यों से योगदान;
- (च) बोर्ड के कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर ब्याज;
- (छ) केरल हेडलोड वर्कर्स एक्ट, 1978 (1980 का 20) की धारा 13 के तहत निर्मित केरल हेडलोड वर्कर्स (रोजगार और कल्याण का विनियमन) योजना 1983 के पैरा 24 (क) और 24 (ख) के अनुसार नियोक्ताओं से मजदूरी के रूप में प्राप्त राशि;
- (ज) तथाउपरोक्त (क) से (छ) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'केरल हेडलोड वर्कर्स वेल्फेयर बोर्ड, कोच्चि' (पैन AAAJK1176F)–

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 263 की उप-धारा (9) के खंड (ग)(xiii) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा; तथा

(ग) की गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे कर वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी।

3. पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफलता की स्थिति में धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] के तहत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के तहत वाद की कार्यवाही भी शुरू की जाएगी।

4. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 96/2026/फा. सं. 300196/78/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

S.O. 4048(E).— In exercise of the powers conferred by Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with Section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Kerala Headload Workers Welfare Board, Kochi', (PAN AAAJK1176F), a Board constituted by the State Government of Kerala, in respect of the following specified income arising to the said board namely:-

- (a) Amount received in the form of grants-in-aid and loan from Government;
- (b) Levy collected under the Kerala Headload Workers Act, 1978 (20 of 1980), Kerala Headload Workers rules 1981 and schemes there under;
- (c) Registration fees collected from members registered with the board as beneficiaries;
- (d) Sums received as deposit from employers as per Para 27 of Kerala Headload Workers (regulation of employment and welfare) Scheme 1983 formulated under section 13 of the Kerala Headload Workers Act, 1978 (20 of 1980);
- (e) Contribution from the members as defined in the Kerala Headload Workers Act, 1978 (20 of 1980), Kerala Headload Workers Rules 1981 and Scheme there under;
- (f) Interest on loans and advances given to staff of the board and workers;
- (g) Sums received as wages from employers as per Para 24(a) and 24(b) of Kerala Headload Workers (Regulation of employment and welfare) Scheme 1983 formulated under section 13 of the Kerala Headload Workers Act, 1978 (20 of 1980); and
- (h) Interest earned on (a) to (g) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Kerala Headload Workers Welfare Board, Kochi', (PAN AAAJK1176F) –

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) shall file return of income in accordance with the provision of clause (c)(xiii) of sub-section (9) of section 263 of the said Act, 2025; and
- (c) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the tax years.

3. Failure to comply with the conditions specified in paragraph 2 shall result in withdrawal of exemption under Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 and initiation of proceedings under the said Act.

4. This notification shall be applicable for tax years 2026-27, 2027-28 and 2028-29.

[Notification No. 96/2026/F. No.300196/78/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.